उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Utter Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं0– 551/ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2013–100(1)प्र0सु0/92 दिनॉक 18 मई, 13

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के कार्मिकों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण विषयक समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये वर्ष 2013–14 के लिए निम्नवत स्थानान्तरण नीति, एतदद्वारा, निर्धारित की जाती है :–

1. स्थानान्तरण निम्न प्रकिया के अनुसार किये जायेंगे :–

   (क) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

   (ख) प्रोन्नति, सेवा–समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

   (ग) किसी कार्मिक के व्यक्तिगत कारण यथा चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा या अन्य किसी विशेष कारण के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा कार्मिकों की पारस्परिक सहमति प्राप्त होने पर स्थानान्तरण/ समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

   (घ) यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी/कारपोरेशन की सेवा में हो तो उन्हें यथा सम्भव एक ही जनपद/नगर में तैनात करने हेतु स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

2. समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारी अपने सेवाकाल में एक पद पर कुल 03 वर्ष/जनपद मे 06 वर्ष एवं मण्डल (कमिश्नरी)/एक वितरण क्षेत्र मे 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

3. (i) समूह 'ग' के अन्तर्गत सभी अवर अभियन्ता को सेक्शन में 03 वर्ष, एक खण्ड में कुल 06 वर्ष, एक मण्डल में 10 वर्ष तथा एक क्षेत्र में कुल 15 वर्ष से अधिक तैनात नही रखा जायेगा। किसी भी अवर अभियन्ता को जो एक स्थान पर कार्य कर चुका है उसे उस स्थान पर दोबारा तैनात नही किया जायेगा।

   (ii) समूह 'ग' के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए एक पद पर अधिकतम 03 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसकी तैनाती पद का परिवर्तन किया जायेगा। एक कार्यालय में कार्य करते हुए उसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी तथा जनपद में 10 वर्ष की अवधि होगी। वृहद दण्ड पाने वाले कर्मचारियों को कम से कम 03 वर्ष तक उसे संवेदनशील पदो पर कदापि तैनात नही किया जायेगा। कार्यालय सहायको को उनके गृह जनपदों मे तैनात नही किया जायेगा।

   (iii) समूह 'ग' के परिचालकीय वर्ग के सभी कर्मचारियों की एक स्थान पर पॉच वर्ष तथा जनपद में 15 वर्ष की सेवा अवधि होगी, तत्पश्चात् उन्हे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा।

   (iv) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण यथा सम्भव उनके गृह जनपद अथवा खण्ड में ही किये जायेंगे लेकिन उन्हें उस उपखण्ड में तैनात नही किया जायेगा, जिसमें कि उनका

गृह स्थान स्थित है। उनकी अवधि उपखण्ड में 05 वर्ष, खण्ड में 10 वर्ष तथा मण्डल में 15 वर्ष होगी।

4. शक्ति भवन विस्तार/मुख्यालय में विभागाध्यक्ष को छोड़कर अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान है, तो एक विभाग में 06 वर्ष तक लगातार कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जायेगा।

5. प्रत्येक इकाई में उक्त आधारों पर प्रत्येक वर्ग हेतु इकाई के कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थानान्तरण सीमित रखने का प्रयास किया जायेगा।

6. <u>अन्य मार्ग दर्शक सिद्धान्त :–</u>

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये।

(ii) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता–पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाये, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।

(iii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iv) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

(v) विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाये। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vi) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट–आफ डेट 31–03–2013 मानी जायेगी।

(vii) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाये।

(viii) सामान्यतः किसी कार्मिक को जिस पद/कार्यालय पर पहले कार्य कर चुका हो, पुनः उसे उसी पद/कार्यलय में तैनात नहीं किया जायेगा।

7. <u>स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना :–</u>

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के सम्बन्ध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और सम्बन्धित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी

जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(iii) बुंदेलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक, द्वारा लिये जायेंगे।

8. **मान्यता प्राप्त सेवा संघो के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण :–**

मान्यता प्राप्त सेवा संघो के अध्यक्ष/सचिव के स्थानान्तरण उनके द्वारा संगठन में पद धारित होने की तिथि से दो वर्ष तक नही किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसका पूर्वानुमोदन प्रबन्ध निदेशक महोदय से प्राप्त किया जायेगा।

9. **स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश :–**

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धित प्रत्यावेदनों को किसी भी दशा में अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई स्थानान्तरित कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध किसी प्रकार का दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुए सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने वाले सम्बन्धित कार्मिक के अगले वेतन का भुगतान नही किया जायेगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से आहरण एवं वितरण अधिकारी को दे दी जाये।

10. **चार्ज नोट :–**

स्थानान्तरित कार्मिक से यह अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्यभार छोड़ने के समय चार्ज नोट तीन प्रतियों में तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति नये कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को एक प्रति अपने से उच्च अधिकारियों को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा एवं तृतीय प्रति स्वयं रखेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओ/विधिक मामलों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देगा ताकि नये कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिक को आगे कार्य सम्पादित कराने में सुविधा हो तथा विभाग को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो।

11. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष महोदय द्वारा कभी भी, किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

12. यह स्थानान्तरण नीति जब तक कारपोरेशन द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।

13. कार्मिकों के स्थानान्तरण मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार गठित द्वि–सदस्यीय समिति के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जायें।

14. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति 2013–14 के मार्ग दर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रकिया तत्काल प्रभावी होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0–55/ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2013–100(1)प्र0सु0/92 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानुपर।
6. समस्त निदेशक गणों से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रॉ0मि0 कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण निगम लि0।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप–महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)–द्वितीय कार्यालय, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, को उनके पत्रांक–388/पाकालि/बैठक(98)/2013 दिनांक 16–05–2013 के सन्दर्भ में।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता, वेव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधे मोहन)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)